

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०  
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 267 / 2012

संस्थित दिनांक-26.06.2012

फाईलिंग नंबर-230303002582012

हैदर उर्फ इस्लाम खॉ पुत्र फईमखान आयु 58 साल  
जाति मुसलमान निवासी हनुमान चौराहा सेवड़ा  
जिला दतिया

.....अपीलार्थी / आरोपी

वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र मौ  
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक  
आरोपी / अपीलार्थी द्वारा श्री बी०एस०यादव अधिवक्ता

न्यायालय-कुमार शैलजा गुप्ता जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण  
क्रमांक-465 / 06 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 15.06.2012 से उत्पन्न दांडिक  
अपील ।

### -:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 26.03.16 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / आरोपी हैदर उर्फ इस्लामखॉ की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 465 / 06 निर्णय दिनांक-15.06.2012 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी को धारा-427 भा०द०वि० में दोषमुक्त किया गया किन्तु धारा-337 एवं 338 भा०द०वि० में दोषी पाते हुए धारा- 71 भा०द०वि० का लाभ देते हुए धारा-337 भा०द०वि० के आरोप में तीन माह के साधारण कारावास 500/-रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा-338 भा०द०वि० के अपराध में छः माह के साधारण कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।
2. प्रकरण में निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी / अपीलार्थी पेशे से वाहन चालक है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक

10.01.03 को फरियादी बलराम कुशवाह एवं आहत मनसिंह के साथ बस स्टेण्ड मौ से मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0-32जी-0112 टाटा 407 में बैठकर गुमानपुरा जा रहे थे जिसे हैदरअली तेजी व लापरवाही से चला रहा था जिसे तेजी से चलाने के लिये दोनों ने मना किया किन्तु वह नहीं माना और वाहन को बड़ेरा से कुछ आगे पहुँचाकर पलट दिया। जिससे बलराम के नाक, मुँह बाँये कंधे में चोटें आई तथा मानसिंह के शरीर में अंदरूनी चोटें आई।

4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना मौ करने पर थाना मौ द्वारा प्र0पी0-1 अप0क्र0-03/03 धारा-279, 337 भा0द0वि0 पर दर्ज कराई जिसमें आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किया गया एवं जप्ती व गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन इत्यादि की संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी को धारा-279, 337, 338 एवं 427 भा.द.वि. के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपी को पद क्रमांक-1 अनुसार दण्डित किया गया जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

6. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। फरियादी बलराम अ0सा0-1 ने अपने न्यायालयीन कथन में चोटों के संबंध में नहीं बताया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। अ0सा0-2 ने घटना का सही विवरण नहीं दिया है। चिकित्सक ने भी चोटों के संबंध में स्पष्ट नहीं किया है तथा घटना के स्वतंत्र साक्षियों को तलब नहीं किया गया है अतः स्वतंत्र साक्षी के द्वारा घटना का पक्ष समर्थन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे।

7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है?

--- निष्कर्ष के आधार ---

8. उक्त विचारणीय बिंदु का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।

9. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः यह व्यक्त किया

गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय एवं दण्डाज्ञा विधि विरुद्ध होकर साक्ष्य के प्रतिकूल है। क्योंकि फरियादी एवं आहत बलराम ने अपनी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में चोटों के संबंध में कथन नहीं किया है कि उसे कहाँ कहाँ किस प्रकार की चोटें आईं जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अ0सा0-2 के द्वारा भी घटना के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है जबकि कथानक में बलराम को नाक, मुंह, बांह, कंधे में चोटें आना और मानसिंह के शरीर में अंदरूनी चोटें आना बताया गया है जिसके संबंध में मानसिंह ने भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है और चिकित्सीय साक्ष्य से भी संपुष्टि नहीं है। तथा घटना के अन्य स्वतंत्र साक्षियों से अभियोजन के द्वारा समर्थन नहीं कराया गया है और आरोपी/अपीलार्थी की उपेक्षा या उतावलेपन के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है इसलिये की गई दोषसिद्धि विधि विरुद्ध है जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा खण्डन करते हुए यह तर्क किया है कि अभिलेख पर अभियोजन की स्पष्ट साक्ष्य है चिकित्सीय साक्ष्य से भी चोटों का समर्थन है। आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट हुई थी तथा आहत एवं फरियादी के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी/अपीलार्थी की तेजी व लापरवाही के कारण गाड़ी चलाकर पलटा देने की स्पष्ट साक्ष्य दी गई है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई दोषसिद्धि पुष्टि योग्य है और अपील में कोई बल नहीं है।

10. दोषसिद्धि के बिन्दु पर अभियोजन के कथानक मुताबिक जो घटना बताई गई है उसमें यह स्पष्ट है कि आरोपी/अपीलार्थी हैदरअली निवासी सेवड़ा जिला दतिया के विरुद्ध इस आशय की नामजद रिपोर्ट घटना के आहत बलराम कुशवाह के द्वारा लिखाई गई थी कि दिनांक 10.01.03 को वह अपनी रिश्तेदारी में गुमानपुरा जा रहा था। तब मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0-30 जी-0112 टाटा 407 में बैठकर जा रहा था। जिसे चालक हैदर अली चला रहा था जिसने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मेटाडोर को बड़ेरा से कुछ आगे पलट दिया था जिससे उसे नाक, मुंह व बांये कंधे में चोट आई थी। मानसिंह को भी शरीर में अंदरूनी चोटें आई थीं और वह बेहोश हो गया था। उक्त वाहन में विनय पुरोहित लहार वाला भी आगे बैठा था और मौके पर पलटी हुई गाड़ी मेटाडोर के चलते बलराम द्वारा मानसिंह कुशवाह को घायल अवस्था में थाना मौ ले जाकर प्र0पी0-1 की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिस पर से आरोपी के विरुद्ध उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में अप0क्र0-03/03 धारा-279, 337 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर मानसिंह को साधारण और बलराम को गंभीर उपहति पहुंचाने तथा विनय पुरोहित की उक्त मेटाडोर में भरी टाईल्स और मार्बल गाड़ी पलटने से क्षतिग्रस्त हो जाने से पांच हजार रुपये की नुकसानी पाते हुए धारा-379, 337, 338 एवं 427 भा0द0वि0 के तहत मामला प्रस्तुत किया गया जिस अनुरूप विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आरोप विरचित कर अपराध विवरण के माध्यम से कार्यवाही अग्रसर करते हुए विचारण किया गया। विचारण उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आई साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के आधार पर आरोपी/अपीलार्थी को धारा-279, 337 एवं 338 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुए धारा-427 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

11. आरोपी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई दांडिक अपील में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधारों को देखते हुए यह मूल्यांकित करना होगा कि

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध धाराओं के तहत निष्कर्ष निकालने में कोई विधि या तथ्य की भूल या त्रुटि की गई है अथवा नहीं की गई है। इस संबंध में अपील न्यायालय को भी विचारण न्यायालय की तरह ही साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष निकालना चाहिए। जैसा कि न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ़ एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 पार्ट-1 मध्यप्रदेश विधि भास्वर (एस0सी0) पेज-1** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

12. अभियोजन की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये साक्षियों में से डॉ0 पी0के0 मिश्रा अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 10.01.03 को मेडिकल कॉलेज एवं जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मौ के आरक्षक रामेन्द्रसिंह द्वारा आहत बलराम एवं मानसिंह को लाये जाने पर उनकी चोटों का परीक्षणकर मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना बताते हुए यह कहा है कि आहत बलराम की ठोड़ी पर एक फटा हुआ घाव पाया था जिसमें खून का थक्का जमा हुआ था। नाक पर भी फटा हुआ घाव पाया था। बांये कंधे पर लालिमा लिये हुए सूजन पाई थी। और आहत के नाक व कंधे के एक्सरे की सलाह दी थी तथा नाक, कान, गला वार्ड के लिये उसे उपचार हेतु रिफर किया था। आहत बलराम की चोट सख्त व मौथरी वस्तु की होकर परीक्षण के बारह घण्टे के भीतर की थी। चोट क्र0-1 ठोड़ी पर थी। उसे साधारण प्रकृति का बताते हुए नाक और बांये कंधे की चोटों की प्रकृति एक्सरे परीक्षण पर आधारित होना बताते हुए प्र0पी0-7 की एमएलसी तैयार करना कहा है।
13. डॉ0 अमित जैन अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में आहत बलराम का एक्सरे परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ0 कमलेश तलरेजा के साथ कार्य करने, उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानना बताते हुए यह कहा है कि आहत बलराम की प्र0पी0-9 की एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर उसकी नाक में टिप वाले भाग में अस्थिभंग पाया गया था और पैरा-2 में आरोपी/अपीलार्थी की ओर से दिये गये सुझाव पर यह भी कहा है कि आहत को आई चोटें किसी वाहन से गिरने पर आ सकती हैं। उक्त चिकित्सीय साक्ष्य का बचाव पक्ष की ओर से कोई खण्डन नहीं हुआ है और दोनों ही चिकित्सक आहत की चोटें दुर्घटनात्मक स्वरूप की बताते हैं। इसलिये चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित हो जाता है कि घटना दिनांक 10.01.03 को आहत बलराम को जो चोटें प्र0पी0-7 मुताबिक पाई गई थीं वह दुर्घटना के फलस्वरूप पहुंची जिसमें नाक में चोट गंभीर स्वरूप की अस्थिभंजन के कारण थी।
14. डॉ0 पी0के0 शर्मा अ0सा0-6 ने आहत मानसिंह का भी उक्त दिनांक को ही परीक्षण करते हुए उसके सिर के पैराइटल भाग में मध्य के हिस्से में 5 गुणित 4 से0मी0 की आड़ी स्थिति में लालिमा लिये हुए सूजन तथा छाती के अगले भाग पर भी लालिमा लिये हुए आड़े में सूजन पाई थी। उसके भी एक्सरे परीक्षण की सलाह देते हुए उसे न्यूरोलॉजी वार्ड में रिफर करना बताते हुए उसकी चोटें भी परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की बताई हैं और चोट की प्रकृति विशेषज्ञ चिकित्सक की राय पर निर्भर होना बताते हुए प्र0पी0-8 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट तैयार करना बताया है। आहत मानसिंह के संबंध में अन्य कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ है। प्र0पी0-7 एवं 8 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट मुताबिक दोनों का चिकित्सीय परीक्षण



घटना दिनांक 10.01.03 को शाम के 8.00 बजे से 8.15 बजे के दरम्यान हुआ है। प्र०पी०-1 की एफआईआर मुताबिक घटना दिन के दो बजे की है। ऐसे में दोनों आहतों की चोटों का चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन है।

15. अब यह देखना है कि क्या आहतगण की चोटें प्र०पी०-1 में बताई गई घटना के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुई? तथा क्या आरोपी/अपीलार्थी का वाहन चालक की हैसियत से उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन का आचरण मेटाडोर क्रमांक-एम०पी०-32 जी-0112 को चलाने में रहा है, जैसा कि अभियोजन के कथानक में बताया गया है।

16. इस संबंध में आहत एवं रिपोर्टकर्ता बलराम अ०सा०-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से प्र०पी०-1 की एफआईआर की पुष्टि करते हुए इस आशय की साक्ष्य दी है कि वह घटना वाले दिन दिन के करीब बारह साढ़े बारह बजे मौ से अपने गांव गुमानपुरा के लिये मेटाडोर क्रमांक-एम०पी०-32/112 में बैठकर जा रहा था। उसके साथ गांव का मानसिंह भी था। ग्राम बड़ेरा के पास चालक ने गाड़ी को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर खंती में पलट दिया था जिससे उसे और मानसिंह को चोटें आई थीं और चालक को पहचानता है, नाम नहीं जानता है। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया था। उसके बाद वह मानसिंह थाने गये थे और उसने प्र०पी०-1 की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस दो घण्टे बाद आई थी और पुलिस ने घटनास्थल देखा था और उसने पूरी घटना पुलिस वालों को पूछताछ करने पर भी बताई थी। फिर उसे व मानसिंह को ग्वालियर इलाज हेतु भेजा गया था। इस बात से उसने इन्कार किया है कि जब गाड़ी पलटी तब उसने अन्य वाहन को नहीं देखा था। घटना की तारीख बताने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उसने यह कहा है कि शंकरान्ति थी। उक्त साक्षी का समर्थन अन्य आहत मानसिंह अ०सा०-2 ने भी किया है। यह अवश्य स्वीकार किया है कि बलराम उसकी मौसी का लड़का है। उसका यह भी कहना है कि गाड़ी का चालक भिण्ड साईड का था जो उसके बहनोई रोशन ने बताया था। उसका यह भी कहना है कि रोशन ने चालक का नाम हैदर अली होना बताया था जिसके संबंध में उक्त साक्षी पर प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

17. इस प्रकार दोनों आहतों की साक्ष्य से इस बात की भी पुष्टि होती है कि उन्हें जो दुर्घटना में चोटें आई वह मेटाडोर के पलटने से आई जिसका क्रमांक भी आहत बलराम द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में बताया गया है और मानसिंह के द्वारा आरोपी का नाम भी बताया गया है। अन्य बिन्दुओं पर कोई परीक्षा नहीं है। तथा घटना के विवेचक ए०एस०आई० भूरेसिंह अ०सा०-5 ने दुर्घटना दिनांक 10.01.03 को ही फरियादी बलराम की रिपोर्ट पर से आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध प्र०पी०-1 की एफआईआर लेखबद्ध कर अपराध का पंजीयन किया जाना, आहतगण को मेडिकल परीक्षण के लिये भेजना बताते हुए उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचकर विनय की निशादेही पर प्र०पी०-4 का नक्शामौका बनाना बताया है। विनय को भी घटना का पीड़ित बताया गया है जिसे अवश्य अभियोजन ने परीक्षित नहीं कराया है। लेकिन उसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-427 भा०द०वि० के आरोप से आरोपी/अपीलार्थी की दोषमुक्ति की गई है और उसके संबंध में अभियोजन की कोई काउण्टर अपील नहीं है इसलिये विनय पुरोहित के

परीक्षित न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन के मामले पर विचाराधीन अपील के संदर्भ में नहीं माना जा सकता है।

18. ए0एस0आई0 भूरेसिंह खाँ अ0सा0-5 ने दुर्घटना दिनांक को ही मौके पर जाकर कार्यवाही करते हुए मेटाडोर की जप्ती प्र0पी0-3 के जप्ती पत्रक के माध्यम से करना बताई है। साक्षियों के कथन व नुकसानी पंचनामा भी बनाना बताया है। आरोपी की गिरफ्तारी प्र0पी0-6 मुताबिक बाद में दिनां 27.01.03 को की गई है किन्तु घटनास्थल से दुर्घटना दिनांक को ही प्र0पी0-1 में बताई गई मेटाडोर की बरामदगी होना और मार्बल के टूटे हुए टुकड़ों की भी बरामदगी की जाना बताया है। इस तरह से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर पलटा गया था क्योंकि अभिलेख पर जप्तशुदा मेटाडोर का मेकेनिकल परीक्षण करने वाले रोड़वेज बस डिपो भिण्ड के चालक मुंशीसिंह यादव अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में वाहन में कोई तकनीकी खराबी नहीं बताई है जिसकी प्र0पी0-3 की रिपोर्ट उसके द्वारा दी गई थी इसलिये किसी तकनीकी कारण से दुर्घटना गठित होना नहीं माना जा सकता है। जप्ती के साक्षी विश्वनाथ अ0सा0-4 ने अवश्य अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। किन्तु दुर्घटना दिनांक को ही मौके से हुई जप्ती जिसे कि सुपुर्दगीनामा पर भी प्राप्त किया गया है, उसे देखते हुए अभिलेख पर जो समग्र रूप से अभियोजन साक्ष्य आई है उससे इस बात की संदेह से परे पुष्टि होती है कि दिनांक 10.01.03 को आरोपी/अपीलार्थी हैदरअली ही दुर्घटना कारी मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0-32 जी-0112 का चालक था जिसके उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से वाहन चलाने के फलस्वरूप ही वह खंती में जाकर पलट गई थी क्योंकि अन्य कोई वाहन आते हुए देखा जाना मानसिंह ने खण्डित किया है। इसलिये खंती में वाहन पलटना अपने आप ही उपेक्षापूर्ण आचरण को प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-279, 337 एवं 338 भा0द0वि0 के आरोपों में की गई दोषसिद्धि विधि विरुद्ध या साक्ष्य के प्रतिकूल होना नहीं माना जा सकता है क्योंकि आहत बलराम को साधारण एवं गंभीर उपहति और मानसिंह को साधारण उपहति पहुंची थी। ऐसे में दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दांडिक अपील सारहीन पाते हुए निरस्त की जाती है।

19. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी हैदरअली को धारा-71 भा0द0वि0 का उपयोग करते हुए धारा-279 भा0द0वि0 में पृथक से दण्डाज्ञा अधिरोपित नहीं की गई है। और गुरुत्तर अपराध धारा-337 एवं 338 भा0द0वि0 में ही दोषसिद्धि की है। धारा-338 भा0द0वि0 के अपराध के लिये आहत बलराम के संदर्भ में छः माह का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा-337 भा0द0वि0 में आहत मानसिंह के संदर्भ में तीन माह के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए दोनों कारावास की दण्डाज्ञा एकसाथ भुगताई जाना तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न होने पर व्यतिक्रम में दी गई दण्डाज्ञा को पृथक भुगताये जाने का आदेश दिया गया है। आहतगण को क्षतिपूर्ति भी अर्थदण्ड की अदायगी पर प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है।

20. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थी विचारण के दौरान दो माह से अधिक

समय तक निरोध में व्यतीत कर चुका है और वर्तमान में भी पुनः न्यायिक निरोध में है। इसलिये न्यायिक निरोध की अवधि पर्याप्त दण्डादेश है और उससे दण्डित कर छोड़ दिया जावे। क्योंकि उसके द्वारा अर्थदण्ड की राशि बाद में जमा कर दी गई थी और मामला भी वर्ष 2003 से विचाराधीन है और आरोपी लंबे समय तक विचारण में उपस्थित होकर अभियोजन का सामना भी करता रहा है। इसलिये उसके द्वारा भोगी गई अवधि पर्याप्त दण्डादेश मानकर उसे उसी से दण्डित कर छोड़ दिया जावे जिसका भी विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा विरोध कर व्यक्त किया गया कि आरोपी/अपीलार्थी के अनुपस्थित हो जाने के कारण ही ज्यादातर विलंब हुआ है।

21. जिस प्रकार की घटना प्रमाणित हुई है कि आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा वाहन को खंती में उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर पलटाया था। किसी अन्य वाहन से बचाव में दुर्घटना घटित नहीं हुई है। क्योंकि अन्य किसी वाहन का आवागमन भी दुर्घटना के समय नहीं बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है जिससे उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि अवश्य होती है। किन्तु मामला सड़क दुर्घटना से संबंधित है और जिस प्रकार की उपेक्षा आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा घटना के समय बरती गई, ऐसी घटनाएँ अधिक संख्या में निरंतर हो रही हैं। सड़क दुर्घटना का ग्राफ दिनोंदिन बढ़ रहा है। अतः सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधों में उदारता का रुख नहीं अपनाया जा सकता है। तथा प्रकरण में दो व्यक्ति आहत हुए थे जिन्हें साधारण व घोर उपहति भी पहुंची हैं। तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व से ही दण्डाज्ञा अधिरोपित करने में उदारता बरती गई है क्योंकि जो अपराध प्रमाणित हुआ उसमें दो वर्ष तक का कारावास भी संभव है। जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिकतम छः माह का सश्रम कारावास ही अधिरोपित किया गया है जिसे कठोर दण्ड की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। तथा दुर्घटना की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी/अपीलार्थी की न्यायिक निरोध में काटी गई अवधि पर्याप्त दण्डादेश होना नहीं पाई जाती है। क्योंकि विचारण के दौरान आरोपी अनुपस्थित रहा था और स्थाई वारण्ट तक उसका जारी हुआ जिसके बाद वह गिरफ्तार कर दिनांक 11.09.06 को पेश किया गया था। तत्पश्चात अभिलेखागार से रिकॉर्ड तलब कर कार्यवाही अग्रसर हुई। अपील स्तर पर भी आरोपी/अपीलार्थी जिसके द्वारा मूलतः तो दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा की अपील दिनांक 26.06.12 को पेश की गई थी उसमें भी वह अभिलेख प्राप्त हो जाने के पश्चात दिनांक 26.08.14 को अनुपस्थित हो गया था और तब से निरंतर अनुपस्थित रहा। अन्ततः पूर्व दिनांक 14.03.16 को गिरफ्तार कर पेश किये जाने पर ही अपील में सुनवाई कर निराकरण संभव हो पाया। ऐसे में आरोपी के अनुपस्थित रहने का आचरण भी उसके विरुद्ध उदारता बरतने का आधार नहीं बनता है। तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सजा वारण्ट के साथ जो धारा-428 दप्रसं का न्यायिक निरोध की अवधि समायोजित करने के संबंध में जारी प्रमाण पत्र मुताबिक वह विचारण के दौरान कुल 53 दिन न्यायिक निरोध में व्यतीत कर चुका था। अपील स्तर पर वह दिनांक 14.03.16 से आज तक निरोध में रहा है। उक्त अवधि को जोड़कर भी पर्याप्त दण्डादेश नहीं माना जा सकता है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया कारावास और अर्थदण्ड का दण्डादेश अनुचित या अविवेकपूर्ण नहीं है। इसलिये उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा

धारा-337 एवं 338 भा0द0वि0 में दी गई दण्डाज्ञा जिसमें कारावास और अर्थदण्ड दोनों सजाएँ सम्मिलित हैं, उन्हें यथावत रखते हुए अपील निरस्त की जाती है।

22. चूंकि आरोपी/अपीलार्थी हैदर उर्फ इस्लाम खॉ अपील स्तर पर भी न्यायिक निरोध में रहा है इसलिये उसका धारा-428 दफ़्तर का प्रमाण पत्र पृथक से तैयार किया जाकर उसे शेष कारावास की दण्डाज्ञा भुगताये जाने हेतु जेल भेजा जावे। आरोपी/अपीलार्थी द्वारा विचारण के दौरान एवं अपील के दौरान भोगी गई सजा मूल सजा में से समयोजित की जावे।

23. आहतगण की क्षतिपूर्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय की कण्डिका-20 को एवं जप्तशुदा मेटाडोर के संबंध में कण्डिका-22 को यथावत रखा जाता है।

24. निर्णय की निःशुल्क नकल आरोपी को प्रदान की जावे एवं एक नकल डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: **26 मार्च 2016**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)